छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

6वी मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी. सेक्टर –21, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) 492002
website-www.markfed.cg.nic.in, email ID- mf_ctrlroom_raipur@gov.in

क्र./विप./ 84 /2024 न.रा.अ.न., दिनांक 04.04.2024

प्रति,

प्रबंधक,
सेवा सहकारी समिति,
समस्त जिला–समस्त (छ.ग.)

विषय :– **समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के गुणवत्ता के संबंध में।**

संदर्भ :– **प्रकारण कमांक– MCRCA NO.1472/2023 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2024**

विषयांतर्गत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समिति स्तर पर धान उपार्जन हेतु निर्धारित प्रकिया का पालन करने के संबंध में दिशा–निर्देश दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त के संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि धान उपार्जन हेतु छ.ग. शासन द्वारा वर्ष 2023–24 में धान उपार्जन नीति (संलग्न) की कंडिका कमांक–13 में धान की गुणवत्ता के संबंध में दिशा–निर्देश उल्लेखित है एवं आगामी वर्षों में धान उपार्जन के संबंध में छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश अनुसार ही धान उपार्जन एवं निराकरण कार्य किया जाना है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक

क्र./विप./ 84 /2024 न.रा.अ.न., दिनांक 04.04.2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, न.रा.अ.न. को सूचनार्थ।
2. आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर, को सूचनार्थ।
3. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, इंद्रावती भवन, न.रा.अ.न. को सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला–बेमेतरा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. जिला विपणन अधिकारी, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित जिला–बेमेतरा (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय परिसर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक